ऑर्किड अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय

महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य नियम तथा निर्देश।
विद्यालय के विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावकों एवं शुभेच्छुओं के लिएः
जून **2011** और उसके बाद।

24-03-2011.

सेवा में,

माननीय अभिभावक गण एवं छात्रों के माता पिता,

निर्देशों की उपेक्षा करते हुए तथा अनुशासनहीनता संबंधी विषयों में सहयोग देते होते हुए हमें कभी यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि 'विद्यालय' छात्रों के लिए अनुशासित स्थान होगा।

बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। ऐसे में यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासित समय के प्रति निष्ठावान अध्ययनशील रहें तथा अच्छे से प्रगति करें तो उससे पहले हमें स्वयं समय के प्रति निष्ठावान अध्ययनशील अनुशासित एवं कर्तव्यपरायण होना पड़ेगा।

नियम और नीति अगर कठोर होते हैं तो यह देखा जाता है कि अच्छे और आज्ञाकरी छात्र भी प्रभावशाली और सतर्क प्रबोधन प्रणाली के अनुपस्थिति में आज्ञाकारी नहीं रह सकते।जब स्वतंत्रता दी जाती है तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे उसके लाभ को पूरी जिम्मेदारी से ग्रहण न कर पाएँ। परंतु स्वतंत्रता के वातावरण के साथ सीमित नियमों और मार्गदर्शन से यह भी हो सकता है कि बच्चे जिम्मेदारी के साथ फैसला लेना भी सीख लें।

अस्तु विद्यालय की नीति के अनुसार हम कम से कम निर्देश एवं नियम संबंधी सिद्धांतो का प्रतिपादन करना चाहते हैं, जिससे कि वास्तविक जिम्मेदारी सम्हालने संबंधी व्यक्तित्व का विकास हो सके। लेकिन हमारा अनुभव यह कहता है कि अभिभावकों से स्कूल की कुछ मूल अपेक्षाएँ पूरी नहीं की जातीं। अतः हम अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि इन नियमों के महत्त्व को समझें।

1ः विद्यालय एवं अभिभावकों का पारस्परिक संबंधः

विद्यालय अभिभावकों को सह-शिक्षक मानता है और उनकी सकिय भागीदारी भी चाहता है। स्कूल और घर के बीच का निरंतर संवाद-संप्रेषण स्वस्थ संबंधों की चाबी है। ओ**0** आई**0** एस**0** इस भागीदारी के वास्तविक महत्ता को समझता है, इसीलए स्कूल और अभिभावकों के पारस्परिक गतिविधियों और संवाद-सम्प्रेषण के लिए विविध रास्ते निकाल रहा है।

जैसे कि-

कः अध्यापक अभिभावक संगोष्ठी जो कि सत्र में एक बार यानी साल में दो बार आयोजित की जाती हैं। इस संगोष्ठी में रहना अनिवार्य होता है। स्कूल यह देखता है कि अभिभावक इन सभाओं में उपस्थित होते है या नहीं। छात्रों की उत्तम प्रगति के लिए अभिभावकों का स्कूल के प्रति सहयोग व जिम्मेदारी देखकर अध्यापक उसी के अनुसार बात चीत करते हैं।

खः अभिभावकों हेतु शिक्षण संगोष्ठी आयोजित की जाती है जिससे कि शिक्षण की समान समझ विकसित हो सके।

गः प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में विचार विमर्श करने के लिए अभिभावकों की स्कूल से भेंट।

घः विभिन्न विषयों से संवंधित पत्र व परिपत्र स्कूल से भेजे जाते हैं।

ङः छात्र के बुरे व्यवहार पर अभिभावकों को संक्षिप्त पत्र व परिपत्र भेजकर बताया जाता है और बुलाया भी जा सकता है । अभिभावक गण कृपया इस असुविधा को सहन कीजिए और स्कूल को सहयोग कीजिए।

2ः अभिभवकों का विद्यालय आगमनः

कः अभिभावक बच्चों से मिलने हेतु माह के अंतिम रविवार व समय समय पर विद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर ही आ सकते हैं।

खः अभिभावकों द्वार तंबाकू मदिरा व अन्य पदार्थों के साथ स्कूल में आना सख्त मना है।

गः किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु प्राचार्य से मिलने के लिए प्रशासनिक विभाग की श्रीमती सोनिया मानचंदा या श्री आशुतोष श्रीवास्तव से पूर्व संपर्क करना आवश्यक है।

घःआगंतुकों को विद्यालय के प्रशासनिक भवन के अलावा और किसी भी परिसर में पूर्व अनुमति के बिना जाना मना है।

ङः आगंतुक अपने वाहनों को उचित व विद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें।

चः सायं छः बजे विद्यालय के मुख्य द्वार के बंद होने के बाद विद्यार्थी या अभिभावक का प्रवेश संभव नहीं हो सकेगा।

छः माह के अंतिम रविवार को अभिभावक छात्र को सुबह ले जा सकते हैं परंतु सायं छः बजे से पूर्व वापस छात्र को विद्यालय परिसर में छोड़ाना आवश्यक है। छः बजे के पश्चात् छात्र को विद्यालय/छात्रालय में प्रवेश करवाने में स्कूल सक्षम नहीं होगा।

जः सुरक्षा कारणों से बिना अभिभवाक की लिखित अनुमति के छात्र के लिए अवकाश मिलना संभव नहीं है।

3ः पाक्षिक फोन वार्ताः

कः अभिभावक बच्चों को माह में मात्र दो बार रविवार के दिन पॅाच मिनट की अवधि के लिए संपर्क कर सकते हैं। किन्हीं कारणों से यदि विद्यालय में कार्यक\ समारोह आयोजित है तो भी वार्तालाप संभव नहीं हो सकेगा।

खः किन्हीं अन्य दिनों में अन्य अवसर पर वार्तालाप संभव नहीं हो सकेगा।

4ः असमय टेलीफोन वार्ताः

कृपया निर्धारित रविवार को बच्चों से बात करने के अलावा अन्य दिनों में बात करने से बचें।

अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालय के कर्मचारी एवं अध्यापकों से नम्रता से बात करें।

छात्रों को यहॉ प्रेरणा दी जाती है कि अभिभावकों एवं परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के जन्मदिन अथवा अन्य वर्षगॉठों पर फोन से वार्ता के बदले स्वयं का बनाया हुआ शुभेच्छा-पत्र भेजें। अभिभावकों से अनुरोध है कि ऐसे अवसरों पर फोन के द्वारा बच्चों से संपर्क करने की अभिलाषा न रखें।इस प्रकार हम बच्चों प्रेम एवं अनुशासन की भावना जागृत करना चाहते हैं।

5ः दसवीं और बारहवीं के छात्रों की बोर्ड की परीक्षा के समय फोन सुविधाः छात्र की परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न पत्र के उपरांत अभिभावकों से संपर्क करने की अनुमति दी जाएगी।

6ः अवकाश हेतु आवेदनः सामान्य कारणों से सत्र के दौरान अवकाश संभव नहीं होगा। परंतु विशिष्ट स्थितियों में अभिभावक के अनुरोध पर ही संभव होगा।

7ः जून **2011** के सत्र से साप्ताहिक छात्रालय की व्यवस्था नहीं रहेगी।

8ः जून 2011 के सत्र से दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए छात्रालय में रहना अनिवार्य होगा जिससे कि छात्र बोर्ड की परीक्षा की उचित तैयारी कर सकें।

9ः अवकाश के बाद विद्यालय में छात्रों की देर से वापसीः आगमन की निर्धारित तिथि पर छात्र का सायंकाल **6** बजे के पूर्व पहुँचना आवश्यक है।

10ः मांसाहारी भोजनः चर्चाओं की कई दौर के पश्चात् विद्यालय प्रशासन इस निर्णय पर पहुँचा है कि मांसाहारी भोजन केवल रविवार के दोपहर के भोजन में संभव होगा।

11ः बारहवीं के छात्रों हेतु उनके आगे के उच्च्य स्तरीय अध्ययन हेतु विद्यालय प्रशासन ज़ानकारी और सहयोग दे सकेगा परंतु नेतृत्व एवं पूर्ण जिम्मेदारी अभिभावकों की ही होगी।

12ः नवीं से दसवीं में और ग्यारहवीं से बारहवीं में जाने वाले छात्रों के लिएँ/ग्रीष्मावकाश में अतिरिक्त कक्षाएँः वर्तमान नवीं एवं दसवीं की परीक्षा फ़रवरी / मार्च में हुई है। उनकी दसवीं और बारहवीं की कक्षाएँ मार्च में ही शुरू हुई हैं। उनके सत्र की समाप्ति व ग्रीष्मावकाश **30** अप्रैल से होगा। अतः छात्र को पुनः **1** जून **2011** को वापस आना आवश्यक है।

13ः चिकित्सीय सहायताःविशेष चिकित्सीय सुविधा हेतु प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो इस प्रकार की चिकित्सा की अवकाश के दौरान की जाए। सत्र के बीच में यदि ऐसी आवश्यकता आती है तो छात्र को स्कूल से ले जाने और लाने की जिम्मेदारी अभिभावक की होगी तथा दवाइयों की आपूर्ति की जिम्मेदारी भी अभिभावक की होगी। हमारे विद्याल के डॉ**0** को इस विषय की पूर्ण जानकारी दिलाना भी अभिभावक का दायित्व है।

14ः शुल्क अदायगीः अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि समय से अपने संपूर्ण शुल्क की अदायगी करें, जिससे विद्यालय-संचालन सुचारू रूप से हो सके। स्कूल द्वारा अभिभावकों से इस क्षेत्र में सहयोग की पूर्ण आशा की जाती है।

सत्र जून 2011 के आगे शुल्क अदायगी हेतु नियमः

कः शुल्कः संपूर्ण शुल्क दो किस्तों में दिया जा सकता है। प्रत्येक सत्र के आरंभ में उस सत्र की शुल्क समय से ज़मा करना आवश्यक है।

खः **अग्रिम धन राशिः** सत्रारंभ (मई महीने) में वार्षिक रूप से छात्रालय में रहने वाले छात्रों हेतु राशि 25,000 है। दिवसीय छात्रों के लिए यह राशि 10,000 है। छात्र के दूसरे सत्र में आगमन पर 15,000 वार्षिक छात्र हेतु तथा 10,000 दिवसीय छात्र हेतु खाते में धन राशि आवश्यक है।जब तक शुल्क की पूर्ण अदायगी नहीं होगी अग्रिम धनराशि खाते में पैसा ज़मा नहीं किया जाएगा।यदि अग्रिम राशि खाते में धन राशि शून्य हो जाती है तो ऐसी अवस्था में स्टोर से पुस्तकें नोटबुक जैसी अन्य वस्तुओं का वितरण नहीं हो पाएगा।

कृपया निम्न विंदुओं पर भी ध्यान दीजिएः

i) आगामी सत्र से ख़र्चे का पूर्ण विवरण विस्तृत रूप से दिया जाएगा।

ii) जिन अभिभावकों को शुल्क संबंधी स्पष्टीकरण चाहिए वे सत्रारंभ में प्रशासनिक विभाग से संपर्क करें।

iii) इस सत्र से बैंक चेक लेना संभव नहीं होगा कुछ परिस्थितियों में कुछ चेक (बाउंस) वापस हो गए थे। अतः यह निर्णय लिया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक ही स्वीकृत किए जाएँगे।

iv) छात्र के लिए लगभग 3,000 रू का खर्च प्राकृति शिविर खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के लिए संभव है। यह शुल्क अग्रिम जमा किया जा सकता है अथवा अग्रिम धनराशि खाते से लिया जा सकता है।

v) आई० सी० एस० सी० तथा आई० एस० सी० परीक्षाओं से संबंधित खर्च, जैसे- पंजीकरण, परीक्षा, प्रव्रजन प्रमाण पत्र, अंक तालिका पत्र आदि शुल्क अभिभावक से लिए जाएँगे जो राशि बहुत ही सीमित होगी।

vi) जान-बूझकर छात्र द्वारा किए गए नुक़सान की भरपाई भी अभिभावक को ही करनी होगी।

15ः सिर्फ दिन भर के लिए रहने वाले (दिवसीय) छात्रों की अनुपस्थितिः विद्यालय में ऐसा पाया गया है कि शाम को घर चले जाने वाले कुछ छात्र बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित हो जाते हैं। इससे अध्यापक को नया अध्याय शुरू करने में कठिनाई होती है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति को महत्व देते हुए छात्रों में जिम्मेदारी समझने की भावना पैदा करें जिससे कि छात्र उचित ढंग से अध्ययन कर सकें। बिना उचित कारण के व पूर्व सूचना के यदि छात्र अनुपस्थित रहता है और उसके अध्ययन से संबंधित कुछ विषय या अध्याय अपूर्ण रहते हैं तो इससे होने वाली हानि हेतु स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। जून **2011** से जिन छात्रों की उपस्थिति 90% से कम होगी स्कूल उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं करेगा। अस्वस्थ होने पर मिलने वाला अवकाश भी इसी **10**% में शामिल है।

16ः AIEEE 2011ः आपको ज्ञात ही है कि हमारा विद्यालय AIEEE के लिए पिछले दो सालों से केंद्र रहा है। हम पुनः **1** मई **2011** को इस परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं।

17ः आई० सी० एस० सी० तथा आई० एस० सी० परीक्षा केंद्रः आपको प्रसन्नता होगी कि हमारा विद्यालय आई० एस० सी० के लिए परीक्षा केंद्र चुना गया और स्कूल के प्रथम आई० एस० सी० बैच ने अपनी परीक्षा स्वयं के विद्यालय में ही दी है।

18ः मिठाई चॉकलेट या किसी भी तरह के उपहार की मनाहीः सामाजिक नियमों एवं छात्रों तथ अध्यापकों के प्रति प्रेम भावना के कारण बॉटने हेतु कुछ अभिभावक मिठाई चॉकलेट तथा अन्य तरह के उपहार बच्चों, अध्यापकों, यहॉ तक कि प्रधानाचार्य को भी देना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें। ऐसा न करके आप छात्रों सहित सभी के लिए विद्यालय में स्वच्छ वातारण बनाने में मदद करेंगे।

19ः विद्यालयीय सेवाः कृपया ध्यान रखें कि अवकाश के प्रारंभ व अंत मे बच्चे को लाने तथा ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावक की है। जब छात्र स्कूल से घर जा रहा है तो उसके सारे सामान के ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावक की है। स्कूल उनके सामानों को भेजने की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है।

20ः विद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के खेलों प्राकृतिक शिविरों एवं अन्य गतिविधियों की अनिवार्यताः खेल कूद, प्राकृतिक शिविर तथा अन्य प्रकार की किया कलापों का आयोजन शिक्षण कार्य का अभिन्न अंग है। इससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक सभी तरह का संतुति विकास होता है और उनके अंदर सामूहिक रूप से काम करने की भावना भी विकसित होती है।

21ः विद्यालय के सिद्धांत व नियमः इस विषय पर समय समय पर प्राचार्य द्वारा पत्र लिखे गए हैं तथा अभिभावकों को संबोधित भी किया जाता है।अभिभावक इस विषय पर अपने विचार एवं सलाह पत्र या ई मेल द्वारा प्राचार्य अथवा स्कूल प्रबंधक को प्रेषित कर सकते हैं। विद्यालय आप द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा करेगा तथा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

22ः छात्र की सीखने की क्षमता कक्षा के औसत स्तर से बहुत कम होनाः विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई समूहों में बॉटकर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षण कार्य किया गया है। ऐसे में यदि कुछ छात्र विशेषकर विद्यालय के बाद घर चले जाने वाले छात्र जिनका उचित मार्गदर्शन व सहायता घर पर नहीं हो पा रहा है और उनका शैक्षिक स्तर बहुत ही कमज़ोर रहता है तो विद्यालय उन्हें अगली कक्षा में भेजने में सक्षम नहीं होगा।

23ः छुट्टियॉः दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के लिए मार्च व अप्रैल में **4** या **5** सप्ताह की अतिरिक्त कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। अतः इनके लिए गर्मी की छुट्टियॉ सिर्फ **4** या **5** सप्ताह की मई एवं जून में होंगी। इसके अलावा सभी छात्रों को लगभग **9** या **10** सप्ताह की छुट्टियॉ अप्रैल से जून तक होंगी।प्रथम सत्र के अंत में **4** या **5** सप्ताह की छुट्टियॉ नवंबर में होंगी उसकी तारीखें समय-समय पर हर- वर्ष अलग से घोषित की जाएँगी।

24ः विद्यालय के नियमों की अवहेलनाःविद्यालय में छात्रों के अनुशासन के प्रति जागरूकता है। इस क्षेत्र में अभिभावकों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। नियमों के पालन न करने की अवस्था में दण्ड-शुल्क 1,000 रूपए छात्र से लिया जा सकता है। निम्नलिखित गतिविधियों पर शुल्क संभव है।

कः वर्जित खान पान सामग्री का लाना।

खः निम्नस्तरीय साहित्य जैसे पुस्तकें सी0डी0 आदि लाना।

गः विद्युतीय उपकरण।

घः अभद्र पोशाक।

ङः अवकाशोपरांत विलंब से आगमन।

चः विद्यालय कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार।

गंभीर अभद्र व्यवहार के कारण छात्र का अंशकालिक या पूर्ण निष्कासन भी संभव है।

25ः अभिभावकों द्वारा सहयोग की अपेक्षाः

कः अभिभावकों से निवेदन है कि वे विद्याल के नियमों का पूर्णतः पालन करें जिससे बालक-गण आप से अच्छी सीख लें।

खः कृपया स्कूल द्वारा भेजे गए पत्र, सूचना पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विद्यालय को सहयोग दें।
गः कृपया शुल्क निर्धारित समय पर ज़मा करें जिससे विद्यालय से संबंधित सभी कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सकें।
घः पाठशाला द्वारा आमंत्रित किए जाने पर कृपया विद्यालय आकर अध्यापकों से संपर्क अवश्य करें। विशेष शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में सम्मिलित ज़रूर हों। इस तरह के बैठक में भाग लेने से छात्र के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी।
ङः कभी-कभी छात्र विद्यालय में होने वाली गतिविधियों व क्रियाकलापों की सही व स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते हैं। वे विद्यालय व अध्यापकों की त्रुटियाँ बताते हैं। ऐसी अवस्था में यदि अभिभावक स्वयं प्राचार्य से मिलकर स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करें तो इससे भी विद्यालय की प्रगति में मदद मिलेगी।

धन्यवाद।

शुभकामनाओं सहित,
आपका

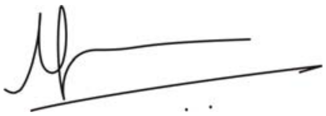

(सुंदर कुमार गांडीकोटा)
प्राचार्य